उपधारा (4) के अधीन एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा रीवा निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2021 मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19(1) में अनुमोदित की गई है, तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात् :—

1. आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा, मध्यप्रदेश
2. कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश
3. आयुक्त, नगर निगम, रीवा, मध्यप्रदेश
4. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, रीवा, मध्यप्रदेश.

2. यह विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 16 जुलाई 2018

क्र. एफ-3-21-2018-अठारह-5.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, नगरीय विकास एवं आवास की सूचना क्रमांक -एफ-3-21-2018-अठारह-5, दिनांक 16 जुलाई 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

NOTICE

Bhopal, dated 16th July, 2018

No. F. 3-21-2018-XVIII-5.—Notice under section 19(4) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 is hereby given that the State Government has approved the Development Plan 2021 for Rewa Planning Area, under sub-section (1) of Section 19 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), and a copy of the said plan may be inspected at the following offices during office hours, namely :—

1. Commissioner, Rewa Division, Rewa, Madhya Pradesh.
2. Collector, Rewa Distt. Rewa, Madhya Pradesh.
3. Commissioner, Nagar Nigam Rewa, Madhya Pradesh.
4. Joint Director, Town & Country Planning, Distt. office Rewa, Madhya Pradesh.

2. The said development plan shall come into operation with effect from of publication of this notice in Madhya Pradesh, Gazettee under section 19(5) of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SHUBHASHISH BANERJEE, Dy. Secy.

सूचना

भोपाल, दिनांक 27 जुलाई 2018

क्र. एफ-3-102-2013-बत्तीस.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012), की धारा 23-"क" की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग की सूचना क्रमांक एफ-3-102-2013-बत्तीस, दिनांक 27 अगस्त 2014 में अपेक्षित किये गये अनुसार प्रवर्तित भोपाल विकास योजना 2005 में उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार है :—

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ग्राम झागरिया खुर्द	326, 328, 332/1, 314,	13.970	कृषि	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक के अंतर्गत शैक्षणिक.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		315/1,			
		315/2,			
		315/3,			
		318/2,			
		318/3,			
		318/4,			
		309, 310,			
		311, 312,			
		313, 316,			
		317,			
		318/1,			
		319/1,			
		319/2,			
		320/1,			
		320/2,			
		329,			
		330/1,			
		331/1,			
		332/2			
	कुल . .	13.970			

शर्तें :

1. मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 38(4)(ख) की सारणी के अनुरूप चूंकि पहुँच मार्ग 1.5 किलोमीटर है जो 600 मीटर से अधिक है. अतः पहुँच मार्ग की चौड़ाई 24 मीटर की जाये. उक्त पहुँच मार्ग का निर्माण आवेदक द्वारा स्वयं किया जाये.

2. इस 24 मीटर चौड़े मार्ग के निर्माण हेतु प्रश्नाधीन भूमि स्वामियों से पुनः अनापत्ति प्राप्त की जाकर शासन को प्रस्तुत की जाये.

3. प्रस्तावित पहुँच मार्ग खसरा क्रमांक 302 पर मिलता है किन्तु कमाण्ड क्षेत्र में होने के कारण चूंकि इसका उपांतरण नहीं किया जाना प्रस्तावित है अतः पहुँच मार्ग हेतु खसरा क्रमांक 299, 308/2, 308/1 के भू-स्वामियों की सहमति प्राप्त कर पहुँच मार्ग को खसरा क्रमांक 309 पर जोड़ा जाये.

4. आवेदक संस्था ने मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 2012 के नियम 15 के अंतर्गत देय राशि रुपये 1,11,76,000/- (रुपये एक करोड़ ग्यारह लाख छियत्तर हजार रुपये मात्र) दिनांक 20 जुलाई 2018 को भारतीय स्टेट बैंक चालन क्रमांक-एस बी आई एन 0006159021720072018 61678 द्वारा राजकीय कोष में जमा की गई है.

5. उपरोक्त उपांतरण भोपाल विकास योजना 2005 का एकीकृत भाग होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 18 जुलाई 2018

क्र. एफ-23-11-2018-अठारह-6.—मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल अधिनियम, 1972 की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन द्वारा श्री कृष्ण मुरारी मोघे की मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल में अध्यक्ष के पद पर कार्यभार ग्रहण की तिथि से दो वर्ष के लिये विभागीय आदेश दिनांक 12 जुलाई 2016 द्वारा नियुक्ति की गई थी.

2. राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री कृष्ण मुरारी मोघे, अध्यक्ष, मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल के कार्यकाल में दो वर्ष की वृद्धि प्रदान करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
लोकेश कुमार जांगिड़, उपसचिव.